

कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक...../जिला विधि,

[VIII-16/2007-13]

दिनांक2013

फोन नं. :- 06456--222530, 222535

फैक्स नं. :- 06456--222626, 225480

ई-मेल :- dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक :- आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.,
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता-सह-
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।


सेवा में,

पुलिस अधीक्षक, किशनगंज।
अपर समाहर्ता, किशनगंज।
अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, किशनगंज।
उप विकास आयुक्त, किशनगंज।
अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया-सह-किशनगंज।
निदेशक, डी.आर.डी.ए., किशनगंज।
निदेशक, एन.ई.पी., किशनगंज।
जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला स्थापना उप समाहर्ता, किशनगंज।
भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज।
वरीय उप समाहर्ता, बैंकिंग, किशनगंज।
जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, किशनगंज।
सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, किशनगंज।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला अभियोजन पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज।
सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, किशनगंज।
अधीक्षक, उत्पाद, किशनगंज।
अधीक्षक, मंडल कारा, किशनगंज।
श्रम अधीक्षक, किशनगंज।
अग्रणी बैंक पदाधिकारी, किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, किशनगंज।
जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज।
निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, किशनगंज।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला।
सभी अंचल अधिकारी, किशनगंज जिला।
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, किशनगंज जिला।
लोक अभियोजक/सरकारी वकील, किशनगंज।
विशेष लोक अभियोजक, विद्युत-नीलाम पत्र, किशनगंज।

विषय :- किशनगंज जिलान्तर्गत दिनांक 23.11.2013 को आयोजित होने वाले "राष्ट्रीय लोक अदालत" में वादों के निस्तार के संबंध में।

न्याय,

विषयान्तर्गत विज्ञा अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के पत्रांक 699, दिनांक 21.09.2013 (प्रति संलग्न) द्वारा किशनगंज जिला में सिविल कोर्ट, किशनगंज के सभाग में दिनांक 23.11.2013 (शनिवार) को "राष्ट्रीय लोक अदालत" आयोजन करने की सूचना प्राप्त है।



अतः उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित वादों का निष्पादन अधिक से अधिक करणा सुनिश्चित करेंगे तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में इसका विस्तृत प्रचार-प्रसार करायेंगे तथा सभी मुखिया को भी एतद् विषयक सूचना अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज कार्यपालक न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारियों एवं जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, पदाभिहित नीलाम पत्र पदाधिकारियों को भी उक्त "राष्ट्रीय लोक अदालत" के संबंध में अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करेंगे। अपर समाहर्ता, किशनगंज उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अनुश्रवण भी करेंगे।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त।

ह./-

(आदित्य कुमार दास)

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता-सह-
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।

ज्ञापांक 572 / जि.विधि, किशनगंज, दिनांक 05.10.2013.

- प्रतिलिपि :- विज्ञ अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज को इंगित पत्र के क्रम में सेवा में सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं वृहत प्रचारार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वरीय उप समाहर्ता, जिला गोपनीय प्रशाखा/जिला नजारत उप समाहर्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल दण्डाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ। उक्त अवसर पर वस/दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का कष्ट किया जाय।
- प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को मेल से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(आदित्य कुमार दास)

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता-सह-
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।